दिल्ली विधान सभा समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित जानकारी) सोमवार, 30 अगस्त, 2004/भाद्रपद 08,1926 (शक)

संख्या: 57

दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिये दिल्ली विधान सभा के तीन प्रतिनिधियों का निर्वाचन

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम,1957 की धारा 3(3)(एफ) के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व हेतु विधान सभा के सदस्यों के द्वारा स्वयं अपने में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन अपेक्षित है। दो सदस्य सत्तारूढ़ दल और एक सदस्य विपक्ष के होंगे।

इस प्रयोजन हेतु नामांकन प्राप्त करने, उम्मीदवारी की वापसी और यदि आवश्यक हो तो निर्वाचन करने के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:-

नामांकन भरने की	नाम वापस लेने की अंतिम	निर्वाचन की तिथि,यदि आवश्यक
अंतिम तिथि	तिथि	हो तो
2 सितम्बर,2004 अप. 3.00 बजे तक (वृहस्पतिवार)	3 सितम्बर,2004 अप. 3.00 बजे तक (शुक्रवार)	6 सितम्बर,2004 पूर्वा. 11 बजे से 3.00 बजे तक समिति कक्ष-1,पुराना सचिवालय,दिल्ली।

सिद्धार्थ राव सचिव

टिप्पणी: 1. आवश्यक प्रपत्र सूचना कार्यालय में उपलब्ध हैं।

2. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी नामांकन प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Monday 30th August, 2004/8, Bhadrapad 1926 (Saka)

No.57

Sub: Election of three representatives of Delhi Assembly to DDA

Hon'ble members are informed that as per Section 3(3)(f) of the Delhi Development Act, 1957, three members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi are required to be elected for representation in DDA by means of a single transferable vote by the Members of the Legislative Assembly from amongst themselves. Two members shall be from the Ruling party and one from the party in the opposition of the Government.

For this purpose, the following schedule has been fixed for receiving the nomination, withdrawal of candidature and for holding election, if necessary: -

Last date for filing nominations	Last date for withdrawal	Date of election, if necessary
2.9.2004 upto 3.00 PM (Thursday)	3.9.2004 upto 3.00 PM (Friday)	6.9.2004 from 11.00 AM to 3.00 PM in Committee Room-I Old Sectt. Delhi.

SIDDHARATH RAO SECRETARY

Note:

1. Necessary forms are available with the Notice Office of the Assembly Secretariat.

No Nomination form will be entertained after the stipulated date and time.

